

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नाम व तारीख
अहकाम के हुकम
हुकम की तारीख
में जारी हुकम

17-11-21

पञ्जावली प्रशासन गांवों के सेग अभियान 2021
केम्य ग्राम सेतोकपुरा मे पेश हुई अप्रार्थगण
के सम्मन बाद वापिल होकर प्राप्त हुए जिले
शा-प किया गया। पखार हल्का पखारी द्वारा
रिपोर्ट प्राप्त हुई जिले शा-प किया गया।
प्रार्थगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया
जाकर निर्णय धूपक से लिखा जाकर शामिल
पञ्जावली किया गया। पञ्जावली फैसल शुमार
होकर नम्बर से रूप हो

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के सेग अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 29/21 प्रा.पत्र

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021

1- श्री अनिल कुमार 5/0 श्री नरवर लखन दर्जा निवासी - माण्डल हाल निवासी -
भीलवाड़ा तहसील (कौरा) --प्राथी

श्री राधू 5/0 श्री सोहन कौर निवासी - कीर खेडा तहसील - माण्डल (कौरा)
--विपक्षीगण
(सुष्मांकिन प्रा.पत्र संलग्न)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश::

दिनांक 17.11.21

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर
दिया कि ग्राम कीर खेडा पटवार हल्का राधापुरा तहसील मांडल / में उसके
संयुक्त खातों की आराजी नं. 1140, 9141 कुल कितता 0.2
0.3668 हेक्टेयर स्थित है।

वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी
विवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने खाते
के खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 13.2.21 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को
कनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगद्दी करने का
री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा - फेरी होने का अंदेश
था न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक
के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्राथी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कीर खेडा
हल्का राधापुरा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं. 1140, 9141
कुल कितता 0.2 रकबा 0.3668 हेक्टेयर
गरो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है।

किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक जी.का को 500/- /-
मिशनर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावें।
फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील
आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

पीठासीन अधिकारी, मांडल

तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा करान पर निर्धारित समय में पत्थरगद्दी की जावे।
न्यायालय में पत्थरगद्दी करे।